न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2024 / 429 दर्ज तिथिः—23.09.2024

1. हरजीराम पुत्र रूगाराम
2. सवाईराम पुत्र रूगाराम
3. दानी पत्नी रूगाराम

जाति मेघवाल निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. आसुराम पुत्र पीरा
2. चेतनराम पुत्र पीरा
3. भूपाराम पुत्र पीरा
4. जुगता पुत्र डाउराम
5. उतम पुत्र डाउराम
6. केसी पत्नी डाउराम
7. पपु पुत्र डाउराम
8. प्रभुराम पुत्र बीजाराम
9. कृष्ण पुत्र बींजाराम
10. बादली पत्नी बींजाराम
11. गजरी पत्नी गजाराम
12. नैनाराम पुत्र रामाराम
13. रूपाराम पुत्र रामाराम
14. गीगी पत्नी रामाराम
15. जोगाराम पुत्र चेनाराम
16. छगनाराम पुत्र वीरमाराम
17. लाभुराम पुत्र वीरमाराम
18. धनीदेवी पत्नी वीरमाराम
19. भला पुत्र दजा
20. भंवराराम पुत्र पाताराम
21. विरधाराम पुत्र पाताराम
22. भीखीदेवी पत्नी पाताराम
23. भागीरथराम पुत्र बेचराराम
24. मोहनराम पुत्र बेचराराम
25. हन्जाराम पुत्र बेचराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:28:56 IST
Reason: SelfAttested

26. रावताराम पुत्र जोगाराम
27. रिडमल पुत्र दानाराम
जाति मेघवाल निवासी बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 45 हाल खसरा नम्बर 551 / 10.6837 है0 में प्रार्थीगण प्रत्येक 1 / 84 हिस्से, खाता संख्या 46 हाल खसरा संख्या 572 / 6 / 1.3436 है0, 572 / 7 / 3. 0594 है0 में प्रत्येक 1 / 28 हिस्से मौजा बारासण व खाता संख्या 32 हाल खसरा संख्या 471 / 16.5435 है0, खाता संख्या 31 हाल खसरा संख्या 476 / 3 / 5.0828 है0, खाता संख्या 22 हाल खसरा संख्या 698 / 2.5900 है0 में प्रत्येक प्रार्थीगण 1 / 28 हिस्से के खातेदार वाके ग्राम भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 एवं 2073–2076 में खाता संख्या 45, 46, 31, 32 एवं 22 में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम दुर्गाराम अंकित है। जबकि प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का सही नाम रूगाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 एवं 2073–2076 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम रूगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:28:56 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुर्गाराम के स्थान पर रूगाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम दुर्गाराम दुरूस्त कर सही नाम रूगाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072—2075 एवं 2073—2076 मौजा बारासण एवं भीलों की ढाणी के नवीन खाता संख्या 45, 46, 31, 32 एवं 22 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
हरजीराम पुत्र दुर्गाराम सवाईराम पुत्र दुर्गाराम दानी पत्नी दुर्गाराम	1 / 84 1 / 84 1 / 84	551 मौजा बारासण	10.6837 है0
हरजीराम पुत्र दुर्गाराम सवाईराम पुत्र दुर्गाराम दानी पत्नी दुर्गाराम	1 / 28 1 / 28 1 / 28	572 / 6 मौजा बारासण 572 / 7 मौजा बारासण	1.3436 है0 3.0594 है0
हरजीराम पुत्र दुर्गाराम सवाईराम पुत्र दुर्गाराम दानी पत्नी दुर्गाराम	1 / 28 1 / 28 1 / 28	471 मौजा भीलों की ढाणी	16.5435 है0
हरजीराम पुत्र दुर्गाराम सवाईराम पुत्र दुर्गाराम दानी पत्नी दुर्गाराम	1 / 28 1 / 28 1 / 28	476 / 3 मौजा भीलों की ढाणी	5.0828 है0
हरजीराम पुत्र दुर्गाराम सवाईराम पुत्र दुर्गाराम दानी पत्नी दुर्गाराम	1 / 28 1 / 28 1 / 28	698 मौजा भीलों की ढाणी	2.5900 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
पहचान पत्र	हरजीराम पुत्र रूगाराम सवाईराम पुत्र रूगाराम दानी पत्नी रूगाराम
आधार कार्ड	हरजीराम पुत्र रूगाराम सवाईराम पुत्र रूगाराम दानी पत्नी रूगाराम
राशन कार्ड	हरजीराम पुत्र रूगाराम सवाईराम पुत्र रूगाराम दानी पत्नी रूगाराम
बैंक पास बुक	हरजीराम पुत्र रूगाराम सवाईराम पुत्र रूगाराम दानी पत्नी रूगाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:28:56 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. *कि* मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 45 हाल खसरा नम्बर 551 / 10.6837 है0 में प्रार्थीगण प्रत्येक 1 / 84 हिस्से, खाता संख्या 46 हाल खसरा संख्या 572 / 6 / 1.3436 है0, 572 / 7 / 3.0594 है0 में प्रत्येक 1 / 28 हिस्से मौजा बारासण व खाता संख्या 32 हाल खसरा संख्या 471 / 16.5435 है0, खाता संख्या 31 हाल खसरा संख्या 476 / 3 / 5.0828 है0, खाता संख्या 22 हाल खसरा संख्या 698 / 2.5900 है0 में प्रत्येक प्रार्थीगण 1 / 28 हिस्से के खातेदार वाके ग्राम भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम दुर्गाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जैसे— बैंक डायरी, आधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम रूगाराम दर्ज है। जो कि शुद्ध है।
   2. प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम दुर्गाराम के नाम से बैंक में कोई ऋण नहीं लिया गया है।
   3. प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का शुद्ध नाम रूगाराम किया जाना सही है क्योंकि ***दुर्गाराम व रूगाराम दोनों एक ही व्यक्ति*** *के हैं। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अशुद्ध नाम दुर्गाराम को शुद्ध नाम रूगाराम किया जाना उचित है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दुर्गाराम व रूगाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम अन्य दस्तावेजों में नाम रूगाराम अंकित है। अतः प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:28:56 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्राज **<u>हरजीराम पुत्र दुर्गाराम, सवाईराम पुत्र दुर्गाराम एवं दानी पत्नी दुर्गाराम</u>** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **<u>हरजीराम पुत्र रूगाराम, सवाईराम पुत्र रूगाराम एवं दानी पत्नी रूगाराम</u>** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:28:56 IST
Reason: SelfAttested